

गतिविधि प्रतिवेदन (2007-2011)



*हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(एच०पी० एस०डी०एम०ए०)*

**हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ)**

www.hpsdma.nic.in

अनुक्रमणिका

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
I	हिमाचल प्रदेश की आपद एवं संवेदनशीलता रूपरेखा	1
II	एच०पी०एस०डी०एम०ए० का गठन एवं पश्चातवर्ती प्रगति	19
III	एक नजर में: एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा हाल ही में कृत कार्य	27
	डी०आर०आर० कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं व संगोष्ठियों का सारांश (अनुच्छेदक-1)	35
	डी०आर०आर० कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित व प्रकाशित आई०ई०सी० सामग्री (अनुच्छेदक-2)	38
	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत सहायतानुदान निधि के उपयोग की योजना (अनुच्छेदक-3)	40
	हिमा, शिमला के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश (अनुच्छेदक-4)	41
	अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश (अनुच्छेदक-5)	45
	छायाचित्र एवं समाचारपत्रों की कटिंग (अनुच्छेदक-6)	46

अध्याय—1

हिमाचल प्रदेश की आपदा एवं संवेदनशीलता रूपरेखा

परिचय

- i. हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में $30^{\circ} 22' 40''$ उत्तर से $33^{\circ} 12' 40''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ} 45' 55''$ पूर्व से $79^{\circ} 04' 20''$ पूर्व देशान्तर रेखांश पर 55,673 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है और समुद्र तल से इसकी ऊँचाई लगभग 350 मीटर (1,148 फीट) से 6,000 मीटर (19,685 फीट) है। नदियाँ तथा हिमनद, दोनों इस प्रदेश के जलनिर्गम स्रोत हैं। हिमालय की नदियाँ समस्त पर्वत-मालाओं से होती हुई गुजरती हैं। वास्तव में नदियाँ पर्वत व्यवस्था से भी पहले की हैं। हिमाचल सिंधु, तथा गंगा, दोनों घाटियों को जल प्रदान करता है। इस क्षेत्र का जलनिर्गम चन्द्रभागा या चनाब, रावी, व्यास, सतलुज तथा यमुना नदियों के माध्यम से होता है। ये बारहमासी नदियाँ हैं और इन्हें बर्फ तथा वर्षा से जल मिलता है। सघन नैसर्गिक वनस्पति इन्हें संरक्षित रखे हुए है।
- ii. वृहद पारिस्थितिकीय भिन्नता के कारण हिमाचल प्रदेश की जलवायु में भी भारी विविधता पाई जाती है। दक्षिणी भू-भाग की जलवायु जहाँ उष्ण तथा अल्पाद्रि उष्णकटिबन्धीय रहती है वहीं अधिक ऊँचाई वाले उत्तरी तथा पूर्वी पर्वतीय भू-भाग में सर्द, बर्फीली तथा कृषि जलवायु रहती है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अतिवृष्टि होती है और लाहौल-स्पोति जैसा ठंडा क्षेत्र भी है जहाँ पर अधिकांशतया वर्षा हाती ही नहीं। मोटे तौर पर हिमाचल प्रदेश में तीन ऋतुएं देखी जा सकती हैं और वे हैं— ग्रीष्म ऋतु, शीत तथा वर्षा ऋतु। गर्मियों का मौसम प्रायः मध्य अप्रैल से लेकर जून अन्त तक रहता है और अधिकांश क्षेत्र में (कृषि क्षेत्र को छोड़कर, जहाँ हल्की गर्मी महसूस की जाती है) बहुत गर्मी हो जाती है और औसत तापमान 28° से० (82° फा०) से 32° से० (90° फा०) के मध्य रहता है। सर्दियों का मौसम नवम्बर के अन्त से मध्य मार्च तक चलता है। कृषि क्षेत्र (सामान्यतः 2,200 मीटर (7,218 फुट) से ऊपर की ऊँचाई वाले ऊँचे तथा हिमालय पार क्षेत्र) में बर्फ गिरना आम बात है।
- iii. राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 45 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है। हिमाचल प्रदेश में यह क्षेत्र आय तथा रोजगार का मुख्य साधन है। प्रदेश की 93 प्रतिशत से अधिक जनता

सोधे रूप से कृषि पर आश्रित है जिससे यहाँ के 71 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर उगाए जाने वाले खाद्यानों में कनक, मक्की, धान तथा जौ मुख्य है। हिमाचल जलविद्युत के क्षेत्र में अत्यधिक संसाधन सम्पन्न प्रदेश है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय संभाव्यता का लगभग 25 प्रतिशत यहाँ पर उपलब्ध है। यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की पांच नदी घाटियों में अनेक बड़ी मध्यम, लघु तथा मिनी/माईक्रो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करके राज्य में लगभग 20,300 मै०वा० जलविद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता है व हिमाचल इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य भी है। वर्तमान कीमतों के अनुसार कुल जी०डी०पी० 25,435 करोड़ (254,350,000,000) अनुमानित है, जो वर्ष 2004–2005 में 23,024 करोड़ (230,240,000,000) थी, इस प्रकार इसमें 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। वर्तमान कीमतों के अनुसार (वर्ष 2007 में) राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 254,350 मिलियन है। वर्ष 2000–01 में प्रतिव्यक्ति आय 10,942 थी।

- iv. वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अंतिम परिणामस्वरूप हिमाचल की जनसंख्या 2001 में 6,077,900 थी। इसमें शहरी जनसंख्या 594881 व्यक्ति तथा ग्रामीण में 5482367 व्यक्ति रहे। प्रदेश की इस जनसंख्या में पूरे किन्नौर जिले की अनुमानित जनसंख्या भी शामिल है, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत की जनगणना, 2001 नहीं हो पाई थी। जनसंख्या के क्षेत्र में राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में यहाँ का वही स्थान (इक्कीसवां) है जो पिछली जनगणना के समय था। 1991–2001 के दौरान राज्य की जनसंख्या में 17.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लिंग अनुपात (प्रति एक हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या) गिरावट के साथ 970 दर्ज किया गया जबकि पिछली जनगणना के समय यह 976 था। राज्य की कुल साक्षरता दर 1991 में 63.94 प्रतिशत से बढ़कर 77.13 प्रतिशत दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में कुल जनन क्षमता दर 1.9 रही, जो भारतवर्ष में सबसे कम है, और जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने हेतु अंकेक्षित 2.1 की टी०एफ०आर० से भी कम है।

राज्य की आपदा रुपरेखा

- v. भूकम्प को दृष्टि से हिमाचल 'द ग्रेट अल्पाईन–हिमालयन सीस्मिक बैल्ट' के अन्तर्गत आता है। यह बैल्ट ऐल्प्स पहाड़ों से युगोस्लोवाकिया से होती हुई तुर्की, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बर्मा तक जाती है। हिमाचल न केवल अपने क्षेत्र में आए भूकम्प से प्रभावित हुआ अपितु उत्तर में जम्मू–कश्मीर, पूर्व में तिब्बत, तथा दक्षिण–पूर्व में उत्तराखण्ड की पहाड़ियों में आए भूकम्प के झटकों ने भी

अपना प्रभाव डाला। 20वीं सदी में हिमाचल प्रदेश में अनेक क्षतिकारक भूकम्प आए जिनके बारे में सूचना भली-भांति रिकार्ड की गई है। यद्यपि, 1905 में आए विख्यात कांगड़ा भूकम्प से पूर्व आए भूकम्पों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, जो ऐतिहासिक तथा पूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से अनुसंधान का विषय है। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में बड़े भूकम्प आए, जिनमें 1905 में कांगड़ा का भूकम्प सब से बड़ा था। दो अन्य बड़े भूकम्प भी आए परन्तु वे 1905 में आए भूकम्प के झटके के समान शक्तिशाली नहीं थे। पहला भूकम्प कुल्लू के समीप 1906 में 6.4 का तथा दूसरा भारत-चीन सीमा के साथ 6.8 का लाहौल-स्पोति व किन्नौर क्षेत्र में 1975 में आया था। गत लगभग 90 वर्षों के दौरान 4.0 तथा उससे अधिक परिमाण के 250 भूकम्प आए जिनमें 5.0 तथा इससे अधिक परिमाण के 60 भूकम्प भी शामिल हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर या उत्तराखण्ड के साथ लगते क्षेत्रों को भी हिला कर रख दिया।

- vi.** राज्य के भूकम्पोय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भी यह पाया गया है कि राज्य के जिलों नामतः चम्बा (53.2%) हमीरपुर (90.9%) कांगड़ा (98.6%) कुल्लू (53.1%) मण्डी (97.4%) का 53 से 98.6 प्रतिशत क्षेत्र एम०एस०के० IX या इसे अधिक की अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं और इनके अन्य क्षेत्र VIII की तीव्रता वाले क्षेत्रों में आते हैं। दो अन्य जिलों बिलासपुर (25.3%) तथा ऊना (37.0%) का कुछ क्षेत्र भी एम०एस०के० IX तथा शेष एम०एस०के० VIII में आते हैं। शेष जिले भी VIII की तीव्रता में आ सकते हैं।
- vii.** उच्चतम भूकम्पोय तीव्रता वाले क्षेत्र होने के बावजूद भी, दुर्भाग्य से, मकानों की किस्म अधिकांशतः क श्रेणी में आती है, जिनकी दीवारें मिट्टी के गारे, कच्ची ईंटों या बेतरतीब पत्थर की चिनाई की हैं जिनमें भूकम्प रोधी कोई वशिष्टय नहीं है। इस स्थिति में भविष्य में यदि IX या इससे अधिक तीव्रता के भूकम्प आते हैं तो ये सभी घर पूर्ण रूप से ढह जायेंगे, और भारी क्षति, अर्थात् विध्वंस हो जायेगा, और क्षेत्र में VIII की तीव्रता वाले भूकम्प आने की स्थिति में भी घरों में बहुत बड़ो-बड़ी दरारें पड़ेंगी और आंशिक रूप से घर गिर भी सकते हैं। पक्की ईंटों से निर्मित घर, जिन्हें ख श्रेणी में रखा जाता है, में भी अच्छे सीमेंट मसाले के भूकम्प पट्टे तथा छत प्रणाली आदि जैसी भूकम्प रोधी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ऐसे घरों में भी IX तथा VIII की तीव्रता वाले भूकम्प आने को स्थिति में भारी क्षति का अंदेशा रहेगा। 1986 में धर्मशाला में आया एम 5.7 का भूकम्प इसका ज्वलन्त उदाहरण है।
- viii.** इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की जनता भू-स्खलन, हिम-स्खलन, अचानकी बाढ़ (बादल फटने से), बाढ़, आग-घरेलू तथा जंगलों में, और सूखे से भी प्रभावित होती है।

बरसात का मौसम वर्षा से जुड़ी आपदाएं लेकर आता है, जैसे बाढ़, भू-स्खलन इत्यादि। प्रत्येक वर्ष जान और माल की हानि होती है।

■ हिमाचल प्रदेश में भूकम्प आपदा

- ix.** हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर-पश्चिम हिमालय का एक हिस्सा है, भूकम्पोय दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील है। गत शताब्दी के दौरान अनेक लघु तथा बड़े भूकम्पों ने राज्य को झकझोरा है। प्रदेश तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के साथ लगते क्षेत्रों में अनेक क्षतिकारक भूकम्प आए हैं। कुछेक प्रमुख भूकम्प जिन्होंने प्रदेश को हिला कर रख दिया, वे हैं:— 1905 (एम=8.0) में कांगड़ा में आया भूकम्प जिसमें 18,815 लोग मारे गए, 1975 (एम=6.7) में किन्नौर में आया भूकम्प जिसमें 60 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े तथा 1986 (एम=5.7) में धर्मशाला में आया भूकम्प। इन बड़े भूकम्पों के अतिरिक्त 4.0 परिमाण के 250 भूकम्प तथा 5.0 से अधिक परिमाण वाले 62 भूकम्पों ने राज्य को हिला कर रख दिया। राज्य के भूकम्प आपदा मानचित्र के अनुसार प्रदेश के चम्बा, मण्डी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र बहुत संवेदनशील है क्योंकि वे क्षेत्र बहुत अधिक क्षति-जोखिम क्षेत्र (एम.एस.के IX या अधिक) अंकित क्षेत्र V में आते हैं जबकि शेष क्षेत्र उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र (एम.एस.के VIII) में आते हैं। कुछेक बड़े विध्वंसक भूकम्पों, को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, जिन्होंने विगत सदी के दौरान प्रदेश को झकझोरा है:—

हिमाचल प्रदेश में आए अत्यधिक प्रचण्ड भूकम्प

दिनांक	प्रभावित क्षेत्र	परिमाण	क्षति
4 अप्रैल, 1905	कांगड़ा	7.8	20,000 लोगों की मृत्यु 53,000 पालतु पशु मारे गए 1,00,000 मकान नष्ट हुए वसूली का आर्थिक मूल्य 2.9 मिलियन रुपये।
जून, 1945	चम्बा	6.5	अप्रयोज्य।
19 जनवरी, 1975	किन्नौर	6.8	60 लोगों की मृत्यु 100 बुरी तरह से घायल 2000 आवास नष्ट हुए 2500 लोग घर विहीन हुए।
26 अप्रैल, 1986	धर्मशाला	5.5	6 लोगों की मृत्यु, भवनों को भारी क्षति 65 करोड़ की अनुमानित हानि।
अप्रैल, 1994	चम्बा	4.5	—
24 मार्च, 1995	चम्बा	4.9	भयानक हलचल 70 प्रतिशत से अधिक घरों में दरारें आईं।
29 जुलाई, 1997	सुन्दरनगर	5.0	लगभग 1000 घरों को क्षति पहुँची।

■ हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन आपदा

- x. प्रदेश में दूसरी प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों तथा पर्वतों में भू-स्खलन होते हैं तथा उच्च तीव्रता वाले भूकम्प भी आते हैं। वन कटान, सड़कों के निर्माण हेतु भूमि का कटान, सीढ़ीदार खेती तथा कृषि खेती में ऐसे परिवर्तन जिनमें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता हो, जैसे अनुपयुक्त मानव गतिविधियों के फलस्वरूप, भूगर्भीय दृष्टि से कच्ची तथा अस्थिर विभिन्न हिमालयी पर्वतमाला ढलानों की संवेदनशीलता में पिछले दशक से तेजी से वृद्धि हो रही है।
- xi. भूस्खलन तबाही के लिए जाने जाते हैं जो मृत्यु और विध्वंसकारी होते हैं। भारतवर्ष में पश्चिम तथा उत्तरी घाट, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र भूस्खलन के लिए जाने जाते हैं। भूस्खलन-प्रवृत्त क्षेत्रों का चित्रण करने हेतु एक वृहद डाटा सैट की आवश्यकता होती है। धंसना, मलवा या चट्टानें खिसकना, मलवा गिरना या चट्टाने गिरना इत्यादि भूस्खलन के विभिन्न रूप हैं। ढलान की ढाल, हिम और बर्फ पिघलने या भारी वर्षा से विनाश, चट्टानों में कम्पन, तटबन्धन से अधिक भार, भराव तथा कूड़े-कचरे के ढेर, जलघाटिता में परिवर्तन, पाले का प्रभाव, चट्टानों का अपचयन, घाटतलीय जल का प्रभाव तथा वानस्पतिक बदलाव इत्यादि भू-स्खलन के प्रेरक होते हैं।
- xii. बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां तथा पर्वत भूस्खलन से प्रभावित होते हैं और उच्च तीव्रता वाले भूकम्प भी आते रहते हैं। वन सड़क निर्माण हेतु भूमि कटान, सीढ़ीनुमा खेत तथा कृषि प्रणाली में ऐसे परिवर्तन जिनमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसी अनुपयुक्त मानव गतिविधियों के कारण, भूगर्भीय दृष्टि से कच्ची तथा अस्थिर, विभिन्न हिमालयी पर्वत श्रृंखला ढलानों की संवेदनशीलता में गत एक दशक से तीव्र वृद्धि हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्खलन जिनसे भारी हानि हुई है, निम्नलिखित हैं:

- मलिंग (1968) इस स्खलन से 1 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 क्षतिग्रस्त हुआ और अभी भी सक्रिय है।
- किन्नौर (दिसम्बर, 1982) यह स्खलन शोल्लिड नाला में हुआ और इससे तीन पुल टूटे तथा 1.5 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई।
- झाखड़ी (मार्च, 1989) इस स्खलन से झाखड़ी में लगभग 500 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई और अभी भी सक्रिय है।

- लुग्गड़मटी (12 सितम्बर, 1995) इस स्खलन के दौरान 65 (सरकारी रिकार्ड के अनुसार 39) व्यक्ति जिन्दा दब गए।
- व्यास नदी के ऊपरी आवाह क्षेत्र में मढ़ी, मांग, छयाल तथा मांडू पर हुए स्खलन प्रमुख है।

xiii. हिमाचल प्रदेश के विध्वंसकारी भूस्खलनों पर और अधिक सघन वैज्ञानिक अध्ययन तथा इंजीनियरी उपाय जुटाए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में यह आवश्यक होगा कि भूगर्भीय तथा भू-तकनीकी अध्ययन के माध्यम से चट्टान गिरने तथा भूस्खलनीय क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए जाए। नई बस्तियों अथवा भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन करते समय भू-स्खलन उन्मुख क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए और जहाँ पर पहले से बस्ती है उनका या तो पुनर्स्थापन करना चाहिए अथवा विशेषज्ञ सलाह अनुसार बचाव उपाय किए जाने चाहिए। बी०एम०टी०पी०सी० द्वारा तैयार भूस्खलन उन्मुख जिलों का विवरण निम्नलिखित है।

हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन उन्मुख क्षेत्र:

जिला	अत्यधिक से बहुत उच्च तीव्रता	उच्च तीव्रता	साधारण से न्यून	असंभाव्य	कुल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
बिलासपुर	216	842	83	1	1142
चम्बा	2120	3829	351	70	6370
हमीरपुर	0	851	204	45	1100
कांगड़ा	123	3698	1233	557	5611
किन्नौर	868	4956	498	0	6322
कुल्लू	1820	3512	65	3	5401
लाहौल-स्पोति	127	11637	1825	2	13591
मण्डी	968	1978	826	98	3870
शिमला	893	3345	767	14	5019
सिरमौर	95	1805	614	228	2742
सोलन	556	1118	157	79	1910
ऊना	2	678	517	311	1508

स्रोत: बी०एम०टी०पी०सी० भारत की भूकम्प आपदा क्षेत्र एटलस।

■ **हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन आपदा**

xiv. ऊची पहाड़ियों में अवस्थित जिला किन्नौर, लाहौल-स्पोति, चम्बा तथा कुल्लू क्षेत्र विशेष तौर से हिमस्खलन आपदा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन से पूर्व में हुआ विनाश व्यापक न होते हुए राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। हिमस्खलन से हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का अपना एक इतिहास है।

हिमाचल में हुए प्रमुख हिमस्खलन निम्नलिखित हैं:

स्थान	तिथि/वर्ष	क्षति
लाहौल-स्पीति	जनवरी, 1975	भूकम्प के झटकों से बड़ा हिम-स्खलन हुआ जिससे सड़क नेटवर्क को नुकसान हुआ।
लाहौल-स्पीति	मार्च, 1978	लगभग 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सड़कों तथा संपत्ति को क्षति पहुंची।
	मार्च, 1979	लगभग 237 लोगों की जान गई, दूरसंचार व्यवस्था बाधित हुई।
टिंकु	मार्च, 1991	जनवरी से मार्च तक प्रतिवर्ष 4–5 बार टिंकु हिम-स्खलन होता है। 1991 में 40 दिन तक सड़क अवरुद्ध रही।
	सितम्बर, 1995	हिम-स्खलन से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया, जिसने बाद में बाढ़ का रूप धारण किया।

■ **हिमाचल प्रदेश में बाढ़ संकट**

- xv. बाढ़ संकट हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का एक और पहलू है जो राज्य को प्रत्येक वर्ष प्रभावित करता है। क्षेत्र की भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में बाढ़ की समस्या अधिकतर प्रकृति पर भी निर्भर करती है। वर्षा ऋतु के दौरान शिवालिक तथा निचली एवं मध्य हिमालयी पर्वतमालाओं में भारी वर्षा होने के कारण व्यापक बाढ़ आती है। भारी वर्षा के फलस्वरूप व्यास तथा सतलुज की ऊपरी घाटियों में नदी मार्ग के अधिक ढलानदार होने तथा नदियों के तेज बहाव के कारण आकस्मिक बाढ़ तथा तटीय स्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। प्रायः यह देखा गया है कि बादल फटने, हिमनद से बनी झीलों के टूटने तथा नदी मार्ग में हुए अस्थायी अवरुद्धों के कारण अचानक बाढ़ आती है। इसके परिणामस्वरूप तटबन्धों में दरारें तथा सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण स्कीमों तथा घरों जैसी विभिन्न सुविधाओं को भारी क्षति होते हुए देखा गया है।

बाढ़ क्षति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नदियां:

- सतलुज नदी तथा इसकी सहायक नदियां, जैसे स्पीति, सांगला खड्ड, अली खड्ड, गम्भर खड्ड, सीर खड्ड तथा स्वां नदी।
- व्यास नदी तथा इसकी सहायक नदियां जैसे ऊहल और सुकेती खड्ड।
- रावी नदी तथा इसकी सहायक सिरुल।
- यमुना तथा इसकी सहायक नदियां, जैसे पब्लर, गिरी और बाटा।

- xvi.** भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यद्यपि प्रदेश में बाढ़ की समस्या व्यापक नहीं है तद्यपि राज्य में बाढ़ आपदा, विशेषकर अचानक बाढ़ को कम करने पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति बढ़ती ही जा रही है। प्रमुख अचानक बाढ़ों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

कुछेक विध्वंसकारी बाढ़े, जिनसे हिमाचल प्रदेश में निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है:

प्रमुख अचानकी बाढ़ें	बाढ़ से हुई क्षति का विवरण
8 जुलाई, 1973	नाथपा में चट्टान गिरने से सतलुज नदी के अवरुद्ध होने से झील बन गई जिससे संजय बिजलीघर क्षतिग्रस्त हुआ और लगभग 45 मिलियन रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ।
19 जनवरी, 1975	स्पीति घाटी में सतलुज नदी दो स्थानों पर अवरुद्ध हुई। पहला 19 जनवरी को भूस्खलन के कारण समधु और कौरिक के मध्य पारचू नदी पर, दूसरा 1975 में समदो कौरिक क्षेत्र में आए भूकम्प से हुए अवरोध से 60 मीटर ऊँची तथा 150 मीटर लम्बी अस्थायी झील बनी। मार्च में झील टूटने से स्पीति घाटी में अचानक बाढ़ आ गई।
29 सितम्बर, 1988 (2.30 प्रातः) शोलिड्ड खड्ड में बादल फटने से आई अचानकी बाढ़	शोलिड्ड गांव में जान और माल का भारी नुकसान हुआ। भावानगर का जलकल बह गया। शोलिड्ड नाले के पार एन०एच०-22 मार्ग 2 किलोमीटर तक बह गया। शोलिड्ड नाले के पूर्वी छोर पर भू-स्खलन हुआ और पोंडा सड़क क्षतिग्रस्त हुई। सतलुज नदी पर कॉन्फरेंस के समीप एक झील बन गई। अवरोध से लगभग 30 मिनट तक सतलुज नदी का बहाव रुका रहा और लगभग 6000 मीटर लम्बी अस्थाई झील बन गई। यह झील वांगतु पुल तक बनी, जिसकी चौड़ाई 200–250 मीटर तथा गहराई 25–30 मीटर थी। झील का पानी संजय विद्युत परियोजना में चला गया और बिजली घर को क्षतिग्रस्त कर गया।
31 जुलाई तथा 2 अगस्त, 1991	सतलुज घाटी में शोलिड्ड खड्ड के साथ बादल फटने से अचानक बाढ़ आई जिसमें 32 लोगों की मृत्यु, 15 घर, 35 बीघा कृषि भूमि, 600 सेब के पेड़, 2 किलोमीटर एच०एन०-22 सड़क तथा 20 मीटर शोलिड्ड खड्ड पर बना पुल बह गया। लियो गांव के साथ कृषि भूमि नीचे नाले में आ

	गई।
24 फरवरी, 1993	शोलिडड गांव के 15 घर, 35 बीघा कृषि भूमि और लगभग 600 सेब के पेड़ अचानकी बाढ़ में बह गए।
4 तथा 5 सितम्बर	नाथपा तथा झाखड़ी के समीप भारी भू-स्खलन एवं चट्टानें खिसकने से सतलुज नदी दो बार अवरुद्ध हुई जिससे एन०एच०-22 को नुकसान हुआ। दुलिंग खड्ड के साथ-साथ, 4 और 5 सितम्बर को दो चरणों में अचानकी बाढ़ आई जिससे जिला किन्नौर के टापरी में भारी नुकसान हुआ।
पहली अचानकी बाढ़ 4 सितम्बर, 1995 को 2.00 बजे सांय दुलिंग खड्ड के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से आई जिससे पी०डब्ल्यू०डी० के विश्रामगृह को नुकसान पहुंचा। पिछली बार बादल फटने से बनी अस्थाई झील के टूट जाने से 5 सितम्बर, 1995 को प्रातः 6.00 बजे एक और बाढ़ आई।	32 लोगों तथा 35 पशुओं की जाने गई। भारी मात्रा में मलवे के ढेर ने सतलुज के साथ-साथ आशिक अवरोध खड़ा कर दिया। अचानकी बाढ़ से सतलुज का बहाव बाएं छोर से दाहिने छोर की ओर हो गया जिससे पानी का खिचांव तेज हो गया और टापरी में स्खलन से भारी नुकसान हुआ। 19 घर, तीन बसों सहित एच०आर०टी०सी० की कार्यशाला बह गई। नदी के जलमार्ग में हुआ परिवर्तन आज भी एन०एच०-22 के लिए स्खलन का खतरा बना हुआ है।
कुल्लू घाटी में 4 और 5 सितम्बर को आई अचानकी बाढ़	कुल्लू घाटी में आई अचानकी बाढ़ से मु० 759.8 मिलियन का नुकसान हुआ।
फरवरी, 1993	झाखड़ी स्खलन से एन०एच०-22 सड़क का 500 मीटर हिस्सा बह गया। सड़क तथा वन भूमि को मु० 10 मिलियन का नुकसान, ऊपरी ढलान पर अवस्थित गांव को खतरा।
4, 5 तथा 12 सितम्बर, 1995	ब्यास नदी के किनारे बाढ़ तथा भू-स्खलन से 65 लोगों की मौत अनेक स्थानों पर एन०एच०-22 को क्षति पहुंची, सरकारी तथा निजी संपत्ति, सड़कों तथा प्लों को हुए नुकसान का अनुमान 182 मिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया।
4 तथा 5 सितम्बर, 1995	सतलुज घाटी में पानवी खड्ड के किनारे आई अचानकी बाढ़ से टापरी में 19 घर, 3 बसों, एच०आर०टी०सी० कार्यशाला बह गए तथा

	पी०डब्ल्यू०डी० विश्राम गृह को क्षति पहुंची।
11 अगस्त, 1997	पब्वर घाटी में आंध्रा खड्ड के साथ अचानकी बाढ़ तथा भूस्खलन में 124 लोग तथा 456 पशु मारे गए, 200 मीटर सड़क, सरकारी तथा निजी भवन बह गए और चिड़गांव का बिजलीघर क्षतिग्रस्त हुआ। अनुमानतः 10.63 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ।
अगस्त, 1997	सतलुज नदी के साथ बादल फटने तथा अचानकी बाढ़ से 19 व्यक्ति, 464 पशु मारे गए, 105 घरों, 10 पशुशालाओं तथा 39 हैक्टेयर कृषि भूमि को क्षति पहुंची। अनुमानतः 672.9 मिलियन रुपये का कुल नुकसान हुआ।
सतलुज घाटी में 31 जुलाई तथा एक अगस्त, 2000 की रात आई अचानक बाढ़	सतलुज घाटी में आई अचानकी बाढ़ से सतलुज नदी का जल स्तर सामान्य से 60 फुट अधिक तक हो गया। इसे ऐसा जलप्लावन माना गया जो 61,000 वर्षों में एक बार आता है। खाब के समीप स्पीति नदी में इसके मिलन स्थल से लेकर पूरी सतलुज घाटी में, नदी के साथ लगते निचले क्षेत्रों तक व्यापक क्षति हुई। 200 कि०मी० एन०एच०-22 सड़क को भारी क्षति पहुंची, 12 पुल और 22 झूले बह गए, 12 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 1000 सिंचाई, मल निकास, बाढ़ संरक्षण तथा जलापूर्ति स्कीमों को भारी क्षति पहुंची। एनजेपीसी सहित जलविद्युत परियोजनाओं को भारी धनराशि को नुकसान हुआ। 135 लोग तथा 1673 पशु मारे गए। अनुमानित 1466.26 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ।
जिला कुल्लू की सैंज घाटी में 23 जुलाई, 2001 की रात आई अचानकी बाढ़	सैंज घाटी की ऊपरी पहाड़ियों में बादल फटने से दो नालों—सैंज तथा जीबा में आई अचानक बाढ़ से 40 परिवार प्रभावित हुए, सैंज तथा जीबा नालों पर लगे दो पुल तथा बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि बह गई। स्लुण्ड और सैंज को जोड़ने वाली सड़क भी कई स्थानों पर बह गई। दो व्यक्ति तथा 5 पशु बह गए। जुलाई में अतिवृष्टि के कारण कुल्लू के कुछ अन्य क्षेत्र भी इसकी चपेट में आए और 6355 की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई।
17 तथा 19 जुलाई, 2001—मण्डी में बाढ़	मण्डी में भारी वर्षा के कारण 160 घरों को नुकसान पहुंचा और एक व्यक्ति तथा 11 पशु मारे गए।
जिला कांगड़ा के छोटा भंगाल तथा बैजनाथ उपमण्डल में 29 तथा 30 जुलाई, 2001 की रात को आई अचानकी बाढ़।	क्षेत्र व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। इस क्षेत्र से अचानकी बाढ़ के कारण 12 लोगों की मृत्यु तथा 150 पशुओं के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। दियोल और बैजनाथ को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। अनुमानतः 18.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

<p>जिला शिमला के रोहडू उपमण्डल में मोराल-डांडा चोटी पर 9 तथा 10 अगस्त 2001 अचानकी बाढ़।</p>	<p>देवीधार तथा रामपुर उपमण्डल में दरकाली, में दो नालों में अचानकी बाढ़ आई जिससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु, 39 पशुओं की मौत, निजी सम्पत्ति को नुकसान सहित सड़कों, पुलों, कृषि भूमि, बागवानी भूमि, पैदल चलने के पुलों, गांव के रास्तों, जलापूर्ति स्कीमों, वन सम्पदा, आवासीय घरों तथा पनचक्कियों जैसी संरचना को भारी क्षति पहुंची। दोनों उपमण्डलों में 145.15 लाख रुपये का नुकसान हुआ। रोहडू उपमण्डल में 7 पुलों, 8 ग्रामीण रास्तों, 8 जलापूर्ति स्कीमों तथा एक बिजलीघर को क्षति पहुंची जबकि रामपुर उपमण्डल में 10 पुलों, 8 ग्रामीण रास्तों, 1 जलपूर्ति स्कीम, 1 भू-संरक्षण संयंत्र, 7 आवासीय घरों तथा 16 पन चक्कियों को क्षति पहुंची।</p>
<p>जिला कुल्लू के आनी उपमण्डल में 21 और 22 अगस्त, 2001 की रात बादल फटने से आई अचानक बाढ़</p>	<p>बघाली गांव में आई अचानक बाढ़ से 2 घरों को क्षति पहुंची जिसमें एक दम्पति जिन्दा दब गये तथा उनके दो बच्चे घायल हो गये। सारली गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई, 15 घर बह गए जबकि 12 गाय, 18 बैल, 40 भेंड़ें और लगभग 115 बीघा कृषि एवं बागवानी भूमि बह गई।</p>
<p>जिला चम्बा के सिंऊता, आरा तथा तिस्सा क्षेत्रों में 12 व 13 अगस्त, 2001 की रात को आई अचानकी बाढ़</p>	<p>9 हैक्टियर उपजाऊ भूमि तथा दो छोटे पुल बह गए जिससे सम्पत्ति को कुल 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।</p>
<p>जिला कुल्लू की गढ़सा घाटी में 16 जुलाई, 2003 को बादल फटने से आई अचानकी बाढ़</p>	<p>अचानकी बाढ़ से 21 लोग मारे गए, 21 को भारी चोटें लगी और 9 अभी भी लापता है।</p>
<p>जिला कुल्लू में सौलंग के समीप कंगनी नाला में 7 अगस्त, 2003 को आई अचानकी बाढ़</p>	<p>30 लोग मारे गए, 19 घायल हुए, 9 लापता, 2 लोग भांग नाला में भू-स्खलन में मारे गए।</p>
<p>26 जून, 2005 को तिब्बती जलागम क्षेत्र में पारचू झील में आई दरार के कारण सतलुज नदी में अचानकी बाढ़</p>	<p>तिब्बती जलागम क्षेत्र में बनी पारचू झील में आई दरार से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे भारी नुकसान हुआ। अनेक स्थानों पर एन०एच०-22 बह गया, 10 पुल, 11 रज्जू मार्ग बह गए, 15 वाहन योग्य पुल तथा 8 जीप योग्य व पैदल चलने योग्य पुल क्षतिग्रस्त/प्रभावित हुए, बांगतू और समघो के मध्य 10 किलोमीटर लम्बी एन०एच०-22 सड़क बह गई, तथा अनेक संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। सरकारी तथा निजी संपत्ति को अनुमानतः 610 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।</p>

जुलाई, 2005 के दौरान आई अचानकी बाढ़	रोहडू उपमण्डल में पब्वर नदी में आई अचानक बाढ़ से सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, आवासीय घरों, पशुशालाओं, निजी भूमि को भारी नुकसान पहुंचा। चिड़गांव खण्ड का सम्पर्क पूरी तरह टूट चुका था। 7 जुलाई, 2005 को बसपा नदी में अचानक बाढ़ आने से 6 पुल तथा 600 मीटर सांगला सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। प्रदेश के विभिन्न भागों में 3000 से अधिक पशुओं का नुकसान हुआ जिससे कल 55980.76 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
15 अगस्त, 2007 भावी गांव, घानवी, शिमला	58 लोग मारे गए गांव को जाने वाले सब मार्ग बन्द हो गए।

(स्रोत: भण्डारी, 1988, साह-एट-अल, 1996, साह एण्ड माज़री 1998, साह एण्ड बिस्ट, 1988, पॉल एट अल, 2000, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार)

■ हिमालय में हिमनदों का पीछे हटना

- xvii.** नेपाली हिमालय में 3,300 हिमनद हैं और उनमें से 2,300 में हिमनद झीलें हैं। तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन झीलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, परन्तु अभियानकर्ताओं के अनुसार इस पर गम्भीरता से वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रखी जा रही है।
- xviii.** न जाने कितने फूटने के कगार पर है, और नीचे अनुप्रवाह क्षेत्र में बसे गांवों को पूर्व चेतावनी देने सम्बन्धी किसी तंत्र को स्थापित करने बारे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। झील टूटने से अचानक बाढ़ आयेगी जिससे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत में लोग, घर, सड़कें और पुल बह जायेंगे। ऐसे विध्वंस गत 70 वर्षों के दौरान नेपाल में दर्जनों बार पहले भी घटित हो चुके हैं। नेपाल के खुम्बू में 1985 में एक हिमनद झील फूटी थी जिससे कम से कम 20 लोग मारे गए थे। इससे एक जलविद्युत स्टेशन, एक ट्रेकिंग ट्रेल तथा अनेक पुल भी बह गए थे। एक वास्तविक खतरा होने के बावजूद इस विषय पर 1990 के मध्य से लेकर कोई योजनाबद्ध अनुसंधान नहीं किया गया है।
- xix.** जापानी शोधकर्ताओं ने 1970 और 1989 के मध्य यह खोज की है कि खुम्बू क्षेत्र के अधिकांश हिमनद 30–60 मीटर तक पीछे हट गए हैं। नेपाल के धौलागिरि क्षेत्र में 1994 तक किये गये क्षेत्रीय अध्ययन ने भी यही प्रवृत्ति दर्शाई है। नेपाल का त्सोरौंग हिमल हिमनद, जिसपर सबसे अधिक अध्ययन किया गया है, 1978 और 1989 के मध्य 10 मीटर पीछे हट चुका है। अभी तो सैटेलाईट डाटा पर ही भरोसा है। यह डाटा यहाँ तक दर्शाता है कि कुछ हिमनद स्थिर हैं या आगे बढ़ रहे हैं, विशेषकर पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्र में।

- xx.** हमें शीघ्र ही अपने हिमनदीय डाटा को अपडेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे पास इस बारे कोई चेतावनी नहीं होगी कि कब विध्वंस की घटना हो जाए। हिमालय में हिमनदों के पीछे हटने सम्बन्धी डी०आर०डी०ओ० द्वारा तैयार किया गया डाटा नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	हिमनद नाम	राज्य/घाटी	पीछे हटने की दर मीटर/वर्ष
1	बराशिगरी	हिमाचल प्रदेश	44.3
2	बिलारे बंगे	सतलुज	2.6
3	शौनें गारंग	सतलुज	26.4
4	झांपा गारंग	सतलुज	19.9
5	पारबती हिमनद	ब्यास	52.0
6	गंगोतरी	उत्तरांचल	17.5
7	मिलाम	उत्तरांचल	13.3
8	पिंडर	उत्तरांचल	23.5
9	डोकियानी	उत्तरांचल	17.0
10	जेमू	सिक्किम	13.2

(स्रोत: डी०आर०डी०ओ० एवं ए.के. कुलकर्णी एट आल)

- xxi.** पीछे हटते हिमनद हिमाचल के जलचक्र को अस्त-व्यस्त कर देंगे और इनसे पूरे क्षेत्र में पानी की भारी कमी के साथ-साथ पारिस्थितिकीय विध्वंस होगा। इसके अतिरिक्त पिघलते हिमनदों से झीलों की वृद्धि हो रही है, जिनके फूटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। आईसीआईएमओडीई द्वारा बनाई गई संभावित खतरनाक झीलों की सूची का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश में संभावित खतरनाक हिमनदों, हिमनदीय झीलों तथा झीलों का सारांश

नदी घाटी	हिमनद			हिमनद झीलें		
	संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि०मी०)	हिमसंचय (धन कि०मी०)	संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि०मी०)	खतरनाक संभाव्यता
ब्यास	358	758	76.40	59	236.20	5
रावी	198	235	16.88	17	9.6	1
चिनाब	681	1705	187.66	33	3.22	5
सतलुज	945	1218	94.45	40	136.46	3
उप-घाटियां	372	245	11.96	7	0.18	2
योग:	2554	4161	387.35	156	385.22	16

(स्रोत: आईनन, जे०डी०, श्रेष्ठा, आर.बी, मूल, पी०के० (2010) एच.के.एच. में हिमनदीय झीलों का बनना व जीएलओए जोखिम निर्धारण, आई सी आई एम ओ डी)

हिमाचल प्रदेश में संभावित खतरनाक हिमनदीय झीलों भारत आधारित सूची अध्ययन, 2014

झील न०	आक्षांश उत्तर	रेखांश पूरब	लम्बाई (मी०)	क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)
ब्यास-जी.एल. 39	31° 55'01.49''	77° 31'51.84''	237.1	0.02
ब्यास-जी.एल. 42	31° 54'57.44''	77° 31'08.62''	178.2	0.02
ब्यास-जी.एल. 51	31° 40'11.08''	77° 37'13.93''	449.8	0.04
ब्यास-जी.एल. 54	31° 40'15.43''	77° 35'57.62''	410.5	0.02
ब्यास-जी.एल. 55	31° 40'16.02''	77° 35'31.67''	311.2	0.03
सतलुज-जी.एल. 7	31° 45'44.73''	78° 06'44.25''	262.1	0.03
सतलुज-जी.एल. 10	32° 00'37.86''	78° 23'24.62''	384.6	0.06
सतलुज-जी.एल. 13	32° 15'57.63''	78° 23'03.14''	325.9	0.03
रावी-जी.एल. 13	32° 15'40.69''	76° 44'24.84''	278.5	0.06
चिनाव-जी.एल. 7	32° 50'05.82''	77° 09'17.65''	318.0	0.03
चिनाव-जी.एल. 14	32° 34'58.10''	77° 11'15.66''	1461.7	0.60
चिनाव-जी.एल. 19	32° 33'03.81''	77° 31'26.00''	2029.1	0.91
चिनाव-जी.एल. 22	32° 47'33.36''	77° 22'32.24''	534.2	0.12
चिनाव-जी.एल. 25	32° 47'31.43''	77° 20'49.55''	429.2	0.12
उप-घाटी 21	32° 12'31.98''	78° 27'16.29	513.8	0.05
उप-घाटी 22	32° 13' 05.47''	78° 26'01.32	414.7	0.05

(स्रोत: आईएस, जे०डी०, श्रेष्ठा, आर.बी, मूल, पी०के० (2010) एच.के.एच. में हिमनदीय झीलों का बनना तथा जीएलओए एवं जोखिम निर्धारण, आई सी आई एम ओ डी)

■ हिमाचल प्रदेश में वनों में आग लगने की घटनाएं

- xxii.** हिमाचल प्रदेश के वन अपने वैभव और आधिपत्य के लिए प्रसिद्ध हैं और ये हिमालयी मुकुट पर एक हरे मोती की तरह सुषोभित हैं। आधुनिक सभ्यता, आर्थिक विकास तथा मानव एवं पशु संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप जीवन पद्धति को सहारा देने वाले ये वन वर्तमान में एक बड़े दबाव से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वन संवहनी वनस्पति के क्षेत्र में समृद्ध है, जिनसे एक विषिष्ट वानस्पतिक आवरण बनता है। देश में पौधों की कुल 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 3,295 प्रजातियां (7.32 प्रतिशत) इस

प्रदेश में पाई जाती हैं। 90 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं और उनमें पश्चिमो हिमालय की वनस्पति की विशेषताएं पाई जाती हैं, जब कि लगभग 5 प्रतिशत (150 प्रजातियां) अन्य स्थानिक हैं जिनकी पहचान पिछले 150 वर्षों में ही हुई है। कुछ वर्षों से मानवीय तथा अन्य कारणों से अग्नि के माध्यम से प्रदेश की वन सम्पदा को क्षति पहुंचाई जा रही है। समृद्ध वनस्पति तथा वन्य जन्तुओं का विनाश प्रदेश के पारिस्थितिकीय सन्तुलन पर गम्भीर प्रभाव डालेगा। प्रदेश की समृद्ध वन सम्पदा को अनेक अग्निकाण्डों का सामना करना पड़ा है, जिनकी एक सूची निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

वर्ष	अग्नि काण्डों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1995	1669	57143
2000	1900	36887
2001-02	301	5719
2002-03	282	4204
2003-04	550	9896
2007-08	550	8393

■ हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं

- xxiii. प्रदेश में सड़क मार्गों में वृद्धि हो रही है और इन मार्गों पर भारी संख्या में वाहन चलते हैं, इन मार्गों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं तथा बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। वर्ष 2001-02 से 2009-10 तक के आंकड़ों से ज्ञात होता कि किस प्रकार दुर्घटनाओं और उनसे पीड़ितों में वृद्धि हो रही है।

क्रमांक	वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1	2001-02	2,226	804	3,798
2	2002-03	2,830	695	3,917
3	2003-04	2,607	867	4,188
4	2004-05	2,758	920	4,674
5	2005-06	2,807	863	4,833
6	2006-07	2,756	886	4,688
7	2007-08	2,906	945	4,867
8	2008-09	2,846	838	4,637
9	2009-10	3,409	1196	5,560

(स्रोत: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग/सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग, जी.ओ.आई./समाचार पत्र)

■ अन्य आपदाएं

- xxiv.** आकस्मिक भगदड़: यह प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात है। यहाँ पर श्री नैना देवी, बाबा बालकनाथ, श्री चिन्तपूर्णी, मां ज्वालाजी, मां बृजेश्वरी तथा श्री चामुण्डा नन्दीकेश्वर धाम इत्यादि अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं का जनसमूह उमड़ता है। श्री नैना देवी मंदिर में, 3 अगस्त, 2008 को इसी प्रकार के जनसमूह में भगदड़ मच गई। घबराए हुए अपार जनसमूह की भगदड़ द्वारा कुचले जाने से 162 श्रद्धालुओं को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। प्रबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की ढील से इस प्रकार की घटनाओं की संभावना सदैव बनी रहती है।
- xxv.** वायुयान दुर्घटनाएं: प्रदेश में दो हवाई पट्टियां तथा हेलीकॉप्टर के उतरने हेतु 120 से अधिक हेलीपैड हैं। 9 जुलाई, 1994 को हिमाचल प्रदेश की ऊँची पहाड़ियों पर खराब मौसम के कारण सरकार का 'सुपर-किंग एयर क्राफ्ट' दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पंजाब के राज्यपाल सुरेन्द्र नाथ तथा उनके परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी। श्री नाथ उस समय हिमाचल के कार्यकारी राज्यपाल भी थे।
- xxvi.** प्रदेश की आपदा रूप रेखा का चित्रण निम्न चार्ट से देखा जा सकता है:

हिमाचल प्रदेश आपदा संकट रूप रेखा

जलीय मौसम	भूगर्भीय	औद्योगिक	मानवकृत	जैविक
अचानक बाढ़	भूकम्प	रासायनिक	दुर्घटनाएं	अकाल
बादल फटना	भूस्खलन	औद्योगिक	भवन गिरना	महामारी
वन अग्नि	भूक्षरण		आतंकवाद	सी बी एन आर आपातकाल
सूखा			कश्ती डुबना	जानवरों द्वारा हमले
ओलावृष्टि			भगदड़	
आँधी तूफान			घरेलू आग	
बिजली कड़कना				
हिम स्खलन				

प्रदेश की अतिसंवेदनशीलता की दृष्टि से वर्तमान स्थिति

■ राज्य की जिलावार आपदा अतिसंवेदनशीलता:


- xxvii.** प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत, इन आपदाओं के सम्बन्ध में अति-संवेदनशीलता के आधार पर, जिलावार अतिसंवेदनशीलता स्थिति के दस्तावेज तैयार किये गए हैं। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं, जैसे भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, औद्योगिक संकट, निर्माण श्रेणी तथा जनसंख्या घनत्व आदि को दिए गए 0–5 परिमाण तक के गुणवत्तापरक महत्व के आधार पर अतिसंवेदनशीलता सांचा तैयार किया गया है। जिलावार सांचे को जोखिम की दुःसाध्यता के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। मूल्यांकन में प्रभावित होने वाले जनसंख्या घनत्व को भी मद्देनजर रखा जाता है। इसमें उन जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल होता है जो जलविद्युत परियोजनाओं, सड़कों तथा उद्योगों के विकास करते हुए हो सकते हैं। भूकम्प संवेदी क्षेत्रों के दृष्टिकोण से तैयार किए गए सांचे के अनुसार जिला कांगड़ा, हमीरपुर तथा मण्डी बहुत उच्च संवेदनशील श्रेणी में पड़ते हैं। उच्च संवेदनशील श्रेणी में पड़ने वाले जिलों में चम्बा, कुल्लू, किन्नौर तथा कांगड़ा और शिमला का कुछ भाग है, जबकि सामान्य तथा न्यून संवेदनशील श्रेणी में क्रमशः जिला ऊना, बिलासपुर, सिरमौर तथा सोलन, शिमला व लाहौल-स्पीति जिले आते हैं। भूस्खलन के दृष्टिकोण से चम्बा, कुल्लू, किन्नौर तथा कांगड़ा और शिमला जिले के कुछ भाग के उच्च संवेदनशील श्रेणी में तथा उनके बाद कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर तथा लाहौल-स्पीति सामान्य श्रेणी में आते हैं। न्यून श्रेणी में पड़ने वाले क्षेत्रों में जिला ऊना, हमीरपुर, तथा सोलन है। हिम-स्खलन आपदा संवेदनशीलता सम्बन्धित मानचित्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर बहुत उच्च संवेदनशील चम्बा, कुल्लू और कांगड़ा तथा शिमला का कुछ क्षेत्र सामान्य तथा शेष जिले न्यून संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत दर्शाता है। बाढ़ आपदा संवेदनशील मानचित्र जिला चम्बा, कुल्लू, ऊना तथा किन्नौर उच्च संवेदनशील, लाहौल-स्पीति, मण्डी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन तथा सिरमौर सामान्य व न्यून श्रेणी के अन्तर्गत दर्शाता है। सांचे के अनुसार प्रदेश की समग्र संवेदनशीलता से यह स्पष्ट होता है कि चम्बा, किन्नौर, कुल्लू तथा कांगड़ा और शिमला के कुछ क्षेत्र उच्चतर संवेदनशील जोखिम श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार जिला कांगड़ा, मण्डी, ऊना, शिमला तथा लाहौल-स्पीति उच्च जोखिम श्रेणी में, जबकि जिला हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सामान्य श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन नीतियां तथा संरचना विकसित करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता

जिला	भूकम्प	भूस्खलन	बाढ़	हिमस्खलन	उद्योग	निर्माण शली व घनत्व	समग्र संवेदनशीलता
कांगड़ा	बहुत अधिक	सामान्य	न्यून	—	सामान्य	बहुत अधिक	अधिक
चम्बा	अधिक	अधिक	अधिक	सामान्य	सामान्य	अधिक	बहुत अधिक
ळमीरपुर	बहुत अधिक	न्यून	न्यून	—	—	अधिक	सामान्य
मण्डी	बहुत अधिक	सामान्य	सामान्य	—	—	अधिक	अधिक
कुल्लू	अधिक	अधिक	अधिक	सामान्य	अधिक	अधिक	बहुत अधिक
थबलासपुर	सामान्य	सामान्य	न्यून	—	सामान्य	सामान्य	सामान्य
ऊना	सामान्य	न्यून	अधिक	—	अधिक	सामान्य	अधिक
सिरमौर	सामान्य	सामान्य	न्यून	—	अधिक	सामान्य	सामान्य
सेलन	न्यून	न्यून	न्यून	—	अधिक	सामान्य	सामान्य
किन्नौर	अधिक	अधिक	अधिक	बहुत अधिक	अधिक	सामान्य	बहुत अधिक
लाहौल—स्पीति	न्यून	सामान्य	सामान्य	बहुत अधिक	—	सामान्य	अधिक
शिमला	न्यून	सामान्य	सामान्य	—	अधिक	सामान्य	अधिक

स्रोत: हि०प्र० राज्य पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
सारणी: हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता

मानचित्र: हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता



हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता मानचित्र

स्रोत : हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिक परिषद्

अध्याय—II

एच०पी०एस०डी०एम०ए० का गठन एवं पश्चातवर्ती प्रगति

- i. भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान किया गया है, ताकि उनके नेतृत्व में आपदा प्रबंधन (डी०एम०) के समुचित कार्यान्वयन हेतु प्रभावी एवं एकीकृत पग उठाए जा सकें। पहले प्रचलित राहत-केन्द्रित प्रतिक्रिया के स्थान पर विकास हितों को संरक्षित रखने तथा जीवन, जीवनयापन तथा सम्पत्ति के नुकसान को न्यून करने हेतु अब बचाव, रोकथाम, अवशमन तथा तत्परता की नीति अपनाई जायेगी।
- ii. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। उसी के अनुसार अधिसूचना संख्या राजस्व डी (एफ) 4-2/2000-V दिनांक 1.6.2007 द्वारा राज्य के लिए एस०डी०एम०ए० का गठन किया गया है। एच०पी०एस०डी०एम०ए० का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०)

(i) माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(ii) माननीय राजस्व मंत्री	सदस्य
(iii) मुख्य सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iv) ए०सी०एस० एवं एफ०सी० (राजस्व)	सदस्य
(v) प्रधान सचिव (गृह)	सदस्य
(vi) प्रधान सचिव (लो०नि०वि०/सि० एवं जन स्वा०)	सदस्य
(vii) प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)	सदस्य
(viii) पुलिस महानिदेशक	सदस्य
(ix) सचिव (राजस्व)	सदस्य सचिव

- iii. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 तथा 19 के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस०डी०एम०ए०) को सौंपे गए कुछ कर्तव्यों तथा शक्तियों का प्रावधान किया गया है। सन्दर्भ के लिए इन धाराओं को नीचे दिया जा रहा है:

“18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियां तथा कर्तव्य:

- 1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तथा योजनाएं तैयार करना राज्य प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा।
- 2) उप-धारा (i) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य प्राधिकरण:
 - (क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति तैयार करेगा,
 - (ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा।
 - (ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करेगा।
 - (घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम तथा न्यूनीकरण हेतु उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश तैयार करेगा और इस कार्य हेतु विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायकता प्रदान करेगा।
 - (ङ) राज्य योजना के कार्यान्वयन को संयोजित करेगा।
 - (च) न्यूनीकरण तथा तत्परता उपायों के लिए धनराशि प्रावधान संस्तुत करेगा।
 - (छ) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उनमें रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत किया गया है।
 - (ज) राज्य सरकार के विभागों द्वारा न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण तथा तत्परता हेतु उपायों की समीक्षा करेगा तथा यथावश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- 3) आपात स्थिति में, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को राज्य प्राधिकरण की समस्त अथवा किसी भी शक्ति को प्रयोग करने की शक्ति होगी, परन्तु शक्तियों का ऐसा प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन की शर्त पर किया जाएगा।”

- iv. इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार एस०डी०एम०ए० राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाली राहत के न्यूनतम मानक निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेगा। अधिनियम की धारा 19 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

“19 राज्य प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानक हेतु दिशा-निर्देश:— राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के मानक निर्धारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

उपबन्धित है कि ऐसे मानक, किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों में निर्धारित न्यूनतम मानक से कम नहीं होने चाहिए।”

- v. अधिनियम में राज्य के लिए राज्य कार्यपालक समिति (एस०ई०सी०) का भी प्रावधान है। अधिनियम में उल्लेखित कार्य निष्पादन में एस०डी०एम०ए० को सहयोग देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 1.6.2007 को एस०ई०सी० के गठन की अधिसूचना भी जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 22 के अधीन राज्य कार्यपालक समिति को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। एस०डी०एम०ए० तथा एस०ई०सी० के उत्तरदायित्वों को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है:

अपेक्षित मुख्य कार्य:

- जागरूकता अभियान नीति तैयार करना तथा उसे राज्य में कार्यान्वित करवाना।
- मानव संसाधन योजना तैयार करना तथा उसके कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण मापदण्ड एवं सामग्री तैयार करना।
- राज्य आपदा योजना तैयार करना या उसका नवीनीकरण कर यह सुनिश्चित करना कि डी०आर०आर० के मामले निपटाए जा चुके हैं।
- जोखिम तथा संवेदनशीलता आंकलन तथा जोखिम एवं संवेदनशीलता न्यूनीकरण रिपोर्ट तैयार करना।
- डी०आर०आर० को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में डी०आर०आर० मामले निपटाए जा चुके हैं, अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाएं तैयार करना।
- विभागों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं की डी०आर०आर० लेखा-परीक्षा करना।

- राज्य के समुत्थान की रूप-रेखा तैयार करना।
- सूचना एवं ज्ञान के विकास हेतु डी०आर०आर० में मंच सांझा करना।
- राष्ट्रीय पहल/स्कीम के अंश के रूप में परियोजनाओं व कार्यक्रमों की संकल्पना करना तथा उन्हें तैयार करना।
- राहत के न्यूनतम मानक तैयार करना।
- आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना।
- विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में न्यूनीकरण योजनाएं तैयार करना।
- राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना तथा राज्य योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा संयोजन।
- विभिन्न विभागों द्वारा डी०एम०पी० तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
- सुरक्षित निर्माण पद्धति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना तथा उनका पालन सुनिश्चित करना।
- जिला प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना अथवा उन्हें परामर्श देना।
- राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं तथा दिशा-निर्देश तैयार करना तथा उनकी समीक्षा व नवीनीकरण।
- यह सुनिश्चित करना कि संचार व्यवस्था दुरुस्त है व ई०ओ०सी० की स्थापना तथा सुदृढीकरण।
- नियमित 'मॉक ड्रिल' सुनिश्चित करना।

एस०ई०सी० की तब से तीन बैठक हो चुकी है और अनेक निर्णय लिए गए हैं। एस०ई०सी० द्वारा लिए गए कुछ मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:

- i) समस्त विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। अधिकांश विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं।
- ii) संवेदनशील भवनों की पहचान करने के लिये आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे 368 भवन चिह्नित किए गए हैं। विभाग को संवेदनशील भवनों के सुदृढीकरण के लिए कहा गया है।
- iii) जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी०डी०एम०पी०ज) के संशोधन तथा आधुनिकीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- iv) एस०डी०एम०ए० की बैबसाईट को तैयार कर शीघ्र ही अपलोड करने का निर्णय लिया गया है।
- v) लोक निर्माण विभाग को कहा गया है कि वह सरकारी भवन निर्माण में भूकम्परोधी प्रणाली को प्रधानता देना सुनिश्चित करे;
- vi) टी०सी०पी० तथा यू०एल०बी० विभागों को कहा गया है कि वे प्रशिक्षण अपेक्षाओं तथा उप-विधि (नियमों) में अपेक्षित संशोधन पर कार्य करें;
- vii) अस्पतालों के सर्वे तथा रैट्रोफिटिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं;
- viii) विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण जरूरतों का जायजा लेने के आदेश भी कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप 25–26 अप्रैल, 2011 को एक टी०एन०ए० कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।
- ix) टी०सी०पी० अधिनियम व निर्माण संबंधी उपनियमों को जाँचने के लिए प्रौद्योगिकी-विधिक व्यवस्था पर एस०ई०सी० की उप-समिति का गठन किया जा चुका है।
- x) आपदा प्रबंधन नियम, 2011 अनुसूचित किए जा चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

- i. सरकारी अमले तथा अन्य पणधारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रदेश में निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन किए जा रहे हैं:

1. भारत सरकार-यू०एन०डी०पी० आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी०आर०आर०) कार्यक्रम (2009–12)

इस कार्यक्रम के दो घटक हैं— डी०आर०आर० तथा शहरी जोखिम न्यूनीकरण (यू०आर०आर०)— डी०आर०आर० कार्यक्रम राज्य के तीन जिलों—कांगड़ा, मण्डी तथा किन्नौर में जबकि यू०आर०आर० शिमला शहर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना की अन्तिम लागत 2.0 करोड़ रुपये है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लेखित, विशेषकर डी०आर०एम० से सम्बन्धित, दायित्वों को पूरा करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस०डी०एम०ए०) तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी०डी०एम०ए०) को सुदृढ़ करना।

- विधि तथा नियामक पद्धति के उचित माध्यम से योजना एवं विकास प्रकरणों का निपटारा करके शहरी जोखिम को कम करना।
- समुत्थान संरचना की स्थापना, जिसके माध्यम से आपदा प्रभावित लोग वे संसाधन पाने में सफल होते हैं जिनसे वे अपने जीवन और जीवनयापन को पुनः पटरी पर ला सकते हैं।
- राज्य तथा सामुदायिक स्तर पर समस्त सहयोगियों के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिम कम करने की प्रणाली तथा रूपात्मकता तैयार करना।
- आपदा प्रबंधन में सूचना तथा जानकारी सांझा करने के मंच को सुदृढ़ करना।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण अनुच्छेदक-1 में दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा जागरूकता वृद्धि संबंधी सामग्री भी विकसित व प्रकाशित की गई है।

2. 13वें वित्तायोग के तहत सहायतानुदान:

13वें वित्तायोग के अन्तर्गत आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण के लिए प्रदेश को 4.00 करोड़ रुपये की धनराशि सहायतानुदान के रूप में जारी की गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश को 20 करोड़ रुपये (4.00 करोड़ रुपये वार्षिक) का सहायतानुदान प्राप्त होगा। यह धनराशि, राज्य में आपदा, जोखिम तथा संवेदनशीलता विश्लेषण, विभिन्न पणधारियों के ज्ञान, अभिरुचि तथा व्यवसाय के अध्ययन, आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, जनता को जागरूक करने, आपात कार्यसंचालन कन्द्रों की स्थापना तथा उनके सुदृढ़ीकरण और समस्त पणधारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाई जायेगी। सहायता अनुदान के उपयोग हेतु एस०ई०सी० द्वारा अनुमोदित 5-वर्षीय कार्ययोजना अनुच्छेदक-3 पर दी गई है।

13 वें वित्त आयोग के अधीन संचालित मुख्य गतिविधियाँ

- रु० 2.18 करोड़ की लागत से समग्र प्रदेश में आपदा जोखिम एवं संवेदनशीलता का विश्लेषण किया गया ताकि उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की आपदाओं के अवशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया हेतु योजना तैयार की जा सके।
- पणधारियों के ज्ञान, जानकारी तथा व्यवहारताओं का पता लगाए जाने के प्रायोजन से अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के अध्ययन से ज्ञान, क्षमता एवं

व्यवस्था (के०ए०पी०) अध्ययन गतिविधियाँ संचालित की गईं ताकि समुचित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

- जिला स्तर तक अचूक एवं सुरक्षित संचार तंत्र युक्त श्स्टेट-ऑफ-आर्ट्स, आपात कार्य संचालन केन्द्रों (नियंत्रण कक्षों) की स्थापना प्रक्रिया जारी है।
- राज्य तथा जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- विभिन्न पणधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं।

3. हिपा द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम:

आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिपा में एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए हिपा को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त हो रहा है। एन०डी०एम०ए० आदि से प्राप्त धनराशि भी राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अब तक पर्याप्त मात्रा में सरकारी मामले को हिपा द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। हिपा द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण का विवरण अनुच्छेदक-1 व अनुच्छेदक-4 में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए हिपा की प्रशिक्षण सूची अनुच्छेदक-4 में दी गई है।

4. जिला स्तर पर सरकारो अमले तथा पंचायती राज व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण:

एन०डी०एम०ए० द्वारा उपरोक्त महत्वकांक्षी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश के पांच जिले— मण्डी, कांगड़ा, कुल्लू, चम्बा तथा किन्नौर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकायों के 240 जन प्रतिनिधि व 80 सरकारी पदस्थों को प्रशिक्षित किया जाएगा, इस प्रकार कुल 1600 व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

राज्य के लिए राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण परियोजना स्वीकृत होने जा रही है। प्रौद्यो-विधिक व्यवस्था, संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण, जन जागरण तथा जिला अस्पतालों की रेट्रोफिटिंग आदि, इस परियोजना के घटक हैं। क्षमता निर्माण के तहत 1251 सिविल इंजीनियरों, 170 वास्तुकारों तथा 14997 राजगीरों को

भूकम्प-रोधी निर्माण बारे प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी पांच वर्षों की अवधि में 2288.17 लाख रुपये के परिव्यय से इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा।

6. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम- प्रदर्शनात्मक परियोजना

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 48.47 करोड़ की लागत वाली एक प्रदर्शनात्मक परियोजना को, शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यह स्कीम देश के 22 राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इसके लिए जनपद कांगड़ा व कुल्लू को चयनित किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 200 विद्यालयों को लक्षित किया जाएगा। राज्य में एक विद्यालय को प्रदर्शनार्थ रेट्रोफिट किया जाएगा।

7. प्रशिक्षण के क्षेत्र में अन्य गतिविधियां:

उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2007 से लेकर प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की सूची अनुच्छेदक में दी गई है। शिक्षा विभाग के सहयोग से, 'सीडज', एक गैर सरकारी संगठन द्वारा विद्यालय अध्यापकों को स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की सूची अनुच्छेदक में दी गई है। हि० प्र० राज्य विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। एन०आई०टी० हमीरपुर द्वारा अभियन्ताओं, वास्तुकारों इत्यादि हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का सारांश अनुच्छेदक-5 में दिया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस०डी०एम०पी०) तैयार करना:

- ii. डी०एम० अधिनियम, 2005 में प्रत्येक राज्य के लिए एस०डी०एम०पी० का प्रावधान किया गया है। उसी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए एक एस०डी०एम०पी० तैयार की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का इन्द्राज करने के उपरान्त एस०डी०एम०पी० का द्वितीय प्रारूप तैयार है। इस प्रारूप में और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। एस०डी०एम०पी० तैयार करने के लिए एन०डी०एम०ए० द्वारा 10.62 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। योजना को संशोधित करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

मॉक ड्रिल:

एन०डी०एम०ए० के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में दो मॉक-अभ्यास किए गए हैं। पहला मॉक अभ्यास मई, 2009 में शिमला शहर में किया गया था जिसमें अग्निशमन विभाग, गृहरक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, आई०टी०बी०पी०, नगर निगम शिमला, आरट्रैक तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही। दूसरा मॉक अभ्यास अप्रैल, 2009 में कांगड़ा में किया गया जिसमें जिला प्रशासन तथा चम्बा जिला पुलिस के कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया। भूकम्प से सम्बन्धित दो मॉक अभ्यास कांगड़ा और चम्बा जिलों में 8–9 जून तथा 11–12 जून, 2011 को किये गये। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दो और मॉक अभ्यास जिला सोलन और सिरमौर में किये जाने प्रस्तावित हैं। एन०डी०एम०ए० की सहायता से बड़ी में औद्योगिक आपदा संकटों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन 26 से 27 जुलाई को किया गया।

अध्याय—III

एक नजर में: एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा हाल ही में कृत कार्य

हि० प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कृत कार्य

राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया से सहबद्ध पणधारियों के क्षमता निर्माण के प्रायोजन से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) द्वारा हाल ही में कुछेक गतिविधियाँ सम्पन्न की गई हैं। अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:

1. जी०ओ०-एन०जी०ओ० समन्वय तथा हि०प्र० अन्तः एजेंसी समूह (एच०पी०आई०ए०जी०) के गठन हेतु प्रथम बैठक (13 जुलाई, 2011, समिति कक्ष, हि०प्र० सचिवालय, शिमला):

आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्षेत्र में कारगर समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व के दृष्टिगत सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को एक साथ लाए जाने के प्रायोजन से हि०प्र० आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) द्वारा हि०प्र० सरकार सचिवालय समिति कक्ष, शिमला में 13 जुलाई, 2011 को जी०ओ०-एन०जी०ओ० समन्वय पर पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय अन्तः एजेंसी समूह के गठन किए जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी मामलों के समन्वय हेतु एक मंच प्रदान किए जाने के लिए इस बैठक में हिमाचल प्रदेश अन्तः एजेंसी समूह (एच०पी०-आई०ए०जी०) का गठन किया गया।

एच०पी०-आई०ए०जी० का लक्ष्य विद्यमान व्यवस्था को मजबूत करना तथा राज्य में कारगर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सहक्रियाशील कार्यवाही प्रोत्साहित करना होगा। इस बैठक में राजस्व विभाग, यू०एन०डी०पी०, भारतीय उद्योग चैम्बर (सी०आई०आई०) के हिमाचल चैप्टर, सरकारी संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय एन०जी०ओ० के कुल 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जी०ओ०-एन०जी०ओ० समन्वय की प्रथम बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. कोर ग्रुप का गठन, समन्वयक का चयन तथा एच०पी०-आई०ए०जी० के लिए मेजबान संस्था का चयन।
2. 3 मास के भीतर एच०पी०-आई०ए०जी० का ड्राफ्ट चार्टर तैयार किया जाना।

3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में एन०जी०ओ० का प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण।
 4. जी०ओ० तथा एन०जी०ओ० द्वारा आँकड़े व सूचना तथा आपदा-संबन्धित संसाधनों को साझा करना।
 5. आपदा प्रतिक्रिया के दौरान प्रभावित क्षेत्र में मानवतावादी सुविधाएं प्रदान करना तथा न्यूनतम मानकों का पालन करना।
2. औद्योगिक तथा रासायनिक आपदाओं में सुरक्षा पर मॉक ड्रिल (26 से 27 जुलाई, 2011, बदी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र):
- उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में स्थल पर तथा स्थल-बाह्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रायोजन से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बदी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में 26 व 27 जुलाई, 2011 को एक वृहद सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य डी०एम० नीति पर प्रस्तुतीकरण एवं विचार-विमर्श (10 अगस्त, 2011, होटल होलिडे होम, शिमला):
- 10 अगस्त, 2011 को होटल होलिडे होम में श्री दीपक सानन, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन नीति के प्रमुख बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य परियोजना अधिकारी, भारत सरकार – यू०एन०डी०पी० डी०आर०आर० कार्यक्रम श्री डी०सी० राणा ने राज्य आपदा प्रबंधन नीति का आद्योपांत प्रस्तुतीकरण किया तथा नीति को प्रमुख विशेषताओं को विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न संबन्धित विभागों के निदेशकों, अध्यक्षों, तथा प्रतिनिधियों, जिनमें पुलिस, शिक्षा, वन, कृषि, बागवानी, शहर एवं नगर नियोजन, शहरी विकास, नगर निगम (शिमला), गृह रक्षा एवं अग्नि सुरक्षा शामिल हैं, ने भाग लिया और राज्य डी०एम० नीति के प्रारूप पर अपने विचार व्यक्त किए।
4. आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजना तैयार किए जाने तथा इसे राज्य की विकास योजना एवं कार्यक्रमों में शामिल किए जाने के बारे में विचार-विमर्श हेतु राज्य-स्तरीय कार्यशाला (6 सितंबर, 2011, समिति कक्ष, हि०प्र० सरकार सचिवालय, शिमला):
- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास पर बल लिए जाने के प्रायोजन से विभिन्न विभागों की योजना तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जोड़ने तथा एकीकरण को प्रोत्साहन किए जाने के उद्देश्य से हि०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) द्वारा 6 सितंबर, 2011 को हि०प्र० सरकार सचिवालय के समिति कक्ष में एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती राजवंत संधू (भा०प्र०से०), प्रधान

सचिव (राजस्व) श्री दीपक सानन, प्रधान सचिव (गृह) श्री पी सी धीमान, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) श्री एस के बी एस नेगी तथा सचिव (स्वास्थ्य) श्री अली रजा रिजवी उपस्थित थे।

श्रीमती राजवंत संधू, मुख्य सचिव, ने अपने उद्घाटन भाषण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी०आर०आर०) को सभी विभागों की विकास योजनाओं में शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जी० पद्मनाभन, आपातकाल विश्लेषक, यू०एन०डी०पी० द्वारा कार्यशाला में मुख्य प्रस्तुति पेश की गई जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन (डी०एम०) संरचना का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि आपदा प्रबंधन न सिर्फ डी०एम० विभाग अपितु सभी विभागों का कर्तव्य है और अवशमन के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा विकास के सभी पहलुओं में प्रावधान किया जाना होगा। अंत में श्रीमती राजवंत संधू, मुख्य सचिव ने अभिलाषा व्यक्त की कि अवशमन उपायों को अवश्यमेव, ग्रामीण विकास विभाग, एस०एस०ए०, आर०एम०एस०ए०, एन०आर०एच०एम०, एन०आर०डी०डब्ल्यू०एम०, पी०एम०जी०एस०वाई०, इत्यादि की विद्यमान स्कीमों के साथ एकीकृत किया जाए।

5. "समर्थ-२०११": आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु जन जागरण अभियान (8 से 13 अक्तूबर, 2011, शिमला तथा राज्य के अन्य जनपद):

आपदाओं के जोखिम में हो रही निरंतर वृद्धि से हिमाचल प्रदेश को जनता को सुरक्षा के दृष्टिगत, लोगों को आपदाओं से जड़ने हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें क्षमता निर्माण के उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) द्वारा "समर्थ-२०११" शीर्षक से एक जन जागरण अभियान प्रारम्भ किया गया, इसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस २०११ (आई०डी०डी०आर० २०११) का भी आयोजन किया गया। "समर्थ-२०११" 8 अक्तूबर, 2011 (कश्मीर भूकम्प की छठवीं सालगिरह) को आरंभ हुआ और 13 अक्तूबर, 2011 को सम्पन्न हुआ। राज्य तथा जिला स्तर पर जागरुकता पैदा करने तथा क्षमता निर्माण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें संबन्धित जिलों के डी०डी०एम०ए०, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हि०प्र० अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा, नगर निगम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, हि०प्र० विश्वविद्यालय आदि पणधारियों की सहभागिता रही। "समर्थ-2011" के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

राज्य स्तरीय:

- माननीय मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल द्वारा एच०पी०एस०डी०एम०ए० की वेबसाइट आरंभ की गयी।
- डी०डी०एम०ए० शिमला, एम०सी० शिमला तथा एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा माल रोड, शिमला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी०आर०आर०) हेतु एक नागरिक पदयात्रा निकाली गई।
- डी०आर०आर० पर आई०आई०एच०एस० (हि०प्र० विश्वविद्यालय) तथा एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा आधे दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया।
- आपातकाल परिस्थितियों में तुरंत एवं कारगर प्रतिक्रिया पर गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवा विभागों द्वारा रिज मैदान, शिमला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
- सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) द्वारा डी०आर०आर० को अकादमिक पाठ्यक्रम में एकीकृत किए जाने पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिला–स्तरीय:

- डी०डी०एम०ए० तथा एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा डी०एम० में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु स्वेच्छावाद पर एन०वाई०क०एस० एवं डी०डी०एम०ए० द्वारा कार्यशाला का आयोजन।
- एच०पी०एस०डी०एम०ए०, डी डी०एम० ए तथा शिक्षा विभाग हि०प्र० द्वारा डी०डी०आर० पर प्रश्नोत्तरी, नाटिका, छायाचित्र एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा विद्यालयों में मॉक ड्रिलों का आयोजन।
- नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में रोगियों की सुरक्षित निकासी तथा सुरक्षा पर मॉक ड्रिल।

6. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रश्नोत्तरी (9 नवंबर, 2011 को उत्तकृष्टता केंद्र, राजकीय महाविद्यालय संजोली, शिमला)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबन्धित गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता किए जाने के प्रयोजन से यह आवश्यक है कि उनकी अभिरुचि अनुसार जागरुकता पैदा करने के सृजनात्मक उपाय विकसित किए जाएं। इसके दृष्टिगत 9 नवंबर, 2011 को युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी जागरुकता बढ़ाने हेतु

एच०पी०एस०डी०एम०ए० ने राजकीय महाविद्यालय संजोली, शिमला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 5 दलों (2 विद्यार्थी प्रति दल) ने भाग लिया जबकि 300 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री डी०सी० राणा ने कालेज प्रशासन तथा विद्यार्थियों से संस्थान में आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी रखने तथा इन्हें अपनाने का आग्रह किया।

7. अस्पताल सुरक्षा कार्यशाला (23 नवंबर, 2011 समिति कक्ष, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला):

2005–2015 ह्योगो कार्यवाही रूप रेखा के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना का एकीकरण तथा आपदा सुरक्षित अस्पताल के लक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाना अत्यावश्यक है। अस्पताल सुरक्षा की संस्कृति विकसित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत, जियो-हेजार्ड सोसाईटी द्वारा हि०प्र० आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) के सहयोग से 23 नवंबर, 2011 को इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला में अस्पताल सुरक्षा, तत्परता एवं योजना विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रारम्भ में राज्य परियोजना अधिकारी (भारत सरकार – यू०एन०डी०पी० डी०आर०आर० कार्यक्रम 2009–2012 श्री डी०सी० राणा द्वारा आई०जी०एम०सी०एच०) के प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सकों को कारगर अस्पताल सुरक्षा योजना के उपाय अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। जियो हेजार्ड सोसाईटी के श्री हरि कुमार, जिन्होंने कार्यशाला में मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में भाग लिया, ने वृहद अस्पताल सुरक्षा योजना प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान की।

8. आपातकालीन संचालन केंद्र (ई०ओ०सी०) की स्थापना के बारे में बैठक एवं प्रस्तुति (23 नवंबर, 2011, समिति कक्ष, हि०प्र० सचिवालय):

राष्ट्रीय आपातकाल संचार योजना तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार व्यवस्था के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर आपातकाल कार्य संचालन केन्द्रों की स्थापना की जानी है। 23 नवंबर, 2011 को हि० प्र० सचिवालय समिति कक्ष में आपातकाल कार्य संचालन केन्द्रों की स्थापना के बारे में आधे-दिन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव श्री गोपाल चंद द्वारा की गई और राज्य परियोजना अधिकारी श्री डी सी राणा तथा एन०आई०सी०, पुलिस, बी०एस०एन०एल०, जी०ए०डी० एवं संबन्धित विभागों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

9. “स्वयं–2011”: स्वेच्छावाद को सम्मान एवं प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रम (5 दिसंबर, 2011, राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला)

समग्र एवं सतत विकास के प्रयोजन से स्वेच्छावाद के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2011 के अवसर पर हि०प्र० आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) द्वारा स्वयं–2011 शीर्षक से एक आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष की दसवीं सालगिरह आई०वाई०वी० +10) का उत्सव मनाया। स्वयं–2011 की

संकल्पना से प्रेरणा लेकर किन्नौर की काइजन संस्था ने 5 दिसंबर 2011 को टी०एस० नेगी महाविद्यालय, रिकांग पिओ के सहयोग से इसी प्रकार का आयोजन किया। दूरस्थ एवं जनजातीय जिले के इतिहास में स्वेच्छावाद के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का यह प्रथम आयोजन था। इस कार्यक्रम में लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने समुदाय को पर्यावरण संरक्षण करने एवं आपदा जोखिम को घटाने के बारे में जागरूक करने के तरीके सीखे।

10. माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक (7 दिसंबर, 2011 हि०प्र० सचिवालय, शिमला)

माननीय मुख्यमंत्री व अध्यक्ष— एच०पी०एस०डी०एम०ए० प्रो० प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में 7 दिसंबर, 2011 को प्रातः 11 बजे हि०प्र० सचिवालय, शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। श्री टी०जी० नेगी, प्रधान सचिव (आई० एण्ड पी०एच०), श्री दीपक सानन, प्रधान सचिव (राजस्व), श्री पी०सी० धीमान, प्रधान सचिव (गृह), श्री अली रजा रिजवी, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री डी०एस० मनहास, पुलिस महानिदेशक (हि०प्र०), श्री गोपाल चंद, अतिरिक्त सचिव (राजस्व) तथा श्री डी०सी० राणा, राज्य परियोजना अधिकारी (हि०प्र०) भारत सरकार — यू०एन०डी०पी० डी०आर०आर० कार्यक्रम, (2009–2012) ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:

- एच०पी०एस०डी०एम०ए० की कार्य रिपोर्ट प्रकाशन के उपरांत विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी।
- हि०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन नीति को एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सलाहकार समिति की अधिसूचना को एस०डी०एम०ए० द्वारा अनुमोदित किया गया।
- डी०आर०आर० को विकास कार्या में शामिल किए जाने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त एस०डी०एम०ए० द्वारा अनुमोदित किए गए।
- एच०पी०एस०डी०एम०ए० का लोगो कुछ सज़ावों के साथ अनुमोदित सभी संबंधितों से प्रतिपुष्टि लिए जाने के उपरांत हि०प्र० आपातकाल एवं राहत नियमावली के संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- लक्षित जागरूकता अभियान के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पग उठाए जाएंगे।

11. विद्यालय सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (19 से 21 दिसंबर, 2011 राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन, हि०प्र०):

विद्यालय सुरक्षा तथा तत्परता योजना के क्षेत्र में विद्यालय अध्यापकों के क्षमता निर्माण के प्रयोजन से हि०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन के सहयोग से तीन-दिवसीय मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 19 से 21 दिसंबर, 2011 तक संचालित इस टी०ओ०टी० शिविर के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों से आए अध्यापकों ने विद्यालय सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल की। आपदा प्रबंधन एवं विद्यालय सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में विद्यालय सुरक्षा की वैचारिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस शिविर में कुल 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

12. क्षति, नुकसान एवं आवश्यकताओं के निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (26 से 28 दिसंबर, 2011 हि०प्र० लोक प्रशासन संस्थान, शिमला):

आपदा उपरांत क्षति, नुकसान तथा आवश्यकताओं के वास्तविक निर्धारण करने हेतु क्षति, नुकसान तथा आवश्यकताओं के प्राक्कलन तैयार करना एक बहुत ही जटिल कार्य होता है क्योंकि इसके अध्यधीन शासन, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्र, अधोरचना, उत्पादन परस्पर जुड़ाव वाले विषय, क्षेत्रीय विकास तथा वृहद आर्थिक विश्लेषण जैसे विभिन्न विषय शामिल किए जाते हैं। इस दिशा में सरकारी विभागों के सदस्यों तथा कार्यकारियों के क्षमता निर्माण के प्रयोजन से हि०प्र० आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) तथा डी०एम० प्रकोष्ठ, हि०प्र० लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) द्वारा आपदा उपरांत आवश्यकताएं एवं क्षति निर्धारण विषय पर 26 से 28 दिसंबर, 2011 तक हिपा में तीन-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों से 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

13. सुरक्षा एवं आपातकालीन निकासी पर प्रथम मॉक ड्रिल (26 दिसंबर, 2011, हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय, शिमला):

आपात परिस्थितियों में आवश्यक रूप से प्रशासनिक भवन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों में गिने जाते हैं। हि०प्र० सचिवालय में अग्निकांड की स्थिति में 'यदि ऐसा हुआ तो' के काल्पनिक परिदृश्य के आधार पर विद्यमान तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से एच०पी०एस०डी०एम०ए० तथा हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26 दिसंबर, 2011 को सचिवालय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अचानक आगजनी अलार्म के बजते ही सचिवालय भवन के भीतर घना धुआँ भरना आरंभ हो गया, सचिवालय में मौजूद सभी कर्मचारियों ने हिदायतों का पालन करते हुए भवनों को खाली कर दिया। दस मिनट के अंदर अग्निशमन दल अपने वाहनों सहित मौके पर पहुँच गया। 45 मिनट के उपरांत, जब सचिवालय भवनों में आग व धुएँ का कोई नामो-निशान नहीं रहा, और स्थिति सामान्य हो गई तो लोगों को भवन में दाखिल होना का परामर्श दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सेना के एक दल द्वारा मॉक ड्रिल की समीक्षा तथा सही एवं गलत गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

14. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी०आर०आर०) पर एन०जी०ओ० के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (29 से 31 दिसंबर, 2011, हि०प्र० लोक प्रशासन संस्थान, शिमला): राष्ट्रीय डी०एम० अधिनियम 2005 ने आपदा प्रबंधन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन लाया है। डी०एम० अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात राहत केन्द्रित दृष्टिकोण से बहुमुखी प्रयास अपनाए जाने की ओर उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिसमें बहु-आयामी तथा बहु-क्षेत्रीय प्रक्रिया अपनाने के प्रयोजन से विविध वैज्ञानिक, आभियांत्रिक, वित्तीय एवं सामाजिक पद्धतियां शामिल हैं। इस प्रसंग के दृष्टिगत, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एन०जी०ओ० की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।

सामुदायिक आपदा तत्परता तथा प्रतिक्रिया पर एन०जी०ओ० के क्षमता निर्माण की आवश्यकता तथा महत्व के मद्देनजर एच०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रदेश में सक्रिय विभिन्न एन०जी०ओ० के नेताओं तथा सदस्यों के लिए एक तीन-दिवसीय प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। टी०ओ०टी० का उद्देश्य एन०जी०ओ० को इस दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाना था कि वे समुदाय को अपने स्तर पर विकास एवं आकस्मिक योजनाएँ तैयार करने, उन्हें आपदा प्रबंधन तथा आपदाओं से कारगर ढंग से निपटने के उपाय सीखने में मदद करें। टी०ओ०टी० का आयोजन एच०पी०एस०डी०एम०ए० तथा डी०एम० प्रकोष्ठ, हिपा द्वारा संयुक्त रूप से 29 से 31 दिसंबर 2011 तक आयोजित किया गया। प्रदेश के 12 जिलों में सक्रिय 27 एन०जी०ओ० के 40 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

15. हिमाचल प्रदेश अंतः एजेंसी समूह की द्वितीय बैठक (31 दिसंबर, 2011 हि० प्र० लोक प्रशासन संस्थान, शिमला):

एच०पी० – आई०ए०जी० की दूसरी बैठक 31 दिसंबर 2011 को हि० प्र० लोक प्रशासन संस्थान, शिमला के परिसर में आयोजित की गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 27 एन०जी०ओ० ने बैठक में भाग लिया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक एन०जी०ओ० को अतिरिक्त सचिव (राजस्व) श्री गोपाल चंद द्वारा हर संभव सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि डी०डी०एम०ए० को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने एस०डी०एम०ए० द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए एच०आर०वी०ए० अध्ययन संपर्क, के०ए०पी० सर्वेक्षण तथा प्रदेश में आपातकाल कार्य संचालन केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढीकरण जैसे कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेश के सभी एन०जी०ओ० व सी०बी०ओ० को राज्य के मानचित्र लाये जाने हेतु आई०ए०जी० की सहायता करने हेतु एन०जी०ओ० को प्रोत्साहित भी किया।

एच०पी०एस०डी०एम०ए० को वेबसाइट: www.hpsdma.nic.in



माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश प्रो० प्रेम कुमार धूमल द्वारा 13 दिसंबर 2011 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (आई०डी०डी०आर० 2011) के अवसर पर हि० प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) की आधिकारिक वेबसाइट का विधिवत रूप से लोकार्पण किया गया। वेबसाइट जो कि www.hpsdma.nic.in है, प्रयोगकर्ता-मित्रक, सुलभ वेबसाइट है जिसमें आपदा प्रबंधन विषयक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट की प्रमुख विषयवस्तु निम्न लिखित है:

#	Main Links	Sub-links
1	About Us	SDMA Structure
		National DM Structure
		Roles and Responsibilities
		Organization Structure
		Location
2	Profile of State	State Profile
		Hazard Profile
		Current Status of Vulnerability
		Housing Vulnerability
3	Disaster Management	Approach to DM
		Plans
4	Act and Notifications	
5	Ongoing Programmes	Gol-UNDP DRR Programme
		Training & Capacity Building under FC- XIII
6	Resource List	List of Helipads
		List of Trained Personnel
		List of Resource Persons
		Emergency Operation Centres
		Telephone Directory
		Resource Inventory (IDRN)
		Maps
		Damage / Incident Reports
7	Citizen Corner	Safety Tips
		IEC Material
		Guidelines for Safe Constructions
		Training / Seminars
8	NGO Corner	Recent Disasters
		Role in DM
		NDMA Guidelines
		Volunteer Registration
Other Links on the Website		Picture Gallery, Useful Links, FAQs, Latest News, Contact Us